



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]
No. 328]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004
(आयकर)

का.आ. 431(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 733(अ) में और संशोधन किया जाता है, नामतः :—

(1) उक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 में, क्रम संख्या 74 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

अनुसूची-I

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
74.	मुख्य आयकर आयुक्त, गुवाहाटी	गुवाहाटी	(i) आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-I (ii) आयकर आयुक्त, गुवाहाटी-II (iii) आयकर आयुक्त, जोरहाट (iv) आयकर आयुक्त, (सी आई बी), गुवाहाटी

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 126/2004/फ. सं. 187/10/2003-आयकर नि. I (भाग)]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी :— (1) दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 733(अ) तत्पश्चात् (1) का.आ. 846(अ) दिनांक 30-8-2001; (2) का.आ. 104(अ) दिनांक 24-1-2002; (3) का.आ. 401(अ) दिनांक 10-4-2002; (4) का.आ. 733(अ) दिनांक 19-7-2002; (5) का.आ. 1262(अ) दिनांक 3-12-2002; (6) का.आ. 220(अ) दिनांक 25-2-2003; (7) का.आ. 1104(अ) दिनांक 25-9-2003; (8) का.आ. 25(अ) दिनांक 8-1-2004 और (9) का.आ. संख्या 159(अ) दिनांक 4-2-2004 के तहत संशोधित की गई थी।